

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम करेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 107/2019 (Bank Case)

"इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय-6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-44 गुरुग्राम, हरियाणा-122002
- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति चन्दा बाई पत्नि मदनलाल
पता:- वार्ड नं. 55, बृजराज कॉलोनी, पुराने बग्गी खाने के पीछे जिला कोटा राजस्थान-324001
2. श्री मदनलाल पुत्र श्री भूरालाल
पता:- वार्ड नं. 55, बृजराज कॉलोनी, पुराने बग्गी खाने के पीछे, जिला कोटा राजस्थान-324001
3. श्री रिकू पुत्र श्री मदनलाल
पता- वार्ड नं. 55, बृजराज कॉलोनी पुराने बग्गी खाने के पीछे, जिला कोटा राजस्थान-324001

- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी शिक्यूरीटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ शिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपरिस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 09.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय-6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-44 गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थी सं० 1 ने दिनांक 04.02.2016 को रूपये 4,00,000/- (अक्षरे: रूपये चार लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी सं० 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री मदन लाल पुत्र श्री भूरालाल पता- सर्वे नम्बर-12, ब्रिजराज कॉलोनी, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान-324001, जिसका कुल क्षेत्रफल 514.38 वर्गफीट है ।, जिसका पट्टा विलेख कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा क्रमांक/ नियमन-आवंटन/2012/19 दिनांक 16.01.2012 को जारी किया गया है । जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटा में दिनांक 15 मार्च 2012 को किया गया है । जिसकी चर्तु: सीमाएं- पूर्व में- शांति का मकान, पश्चिम में-भैरूलाल का मकान, उत्तर में-रोड़, दक्षिण में- सुब्रमणी का मकान है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 30.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे 3,80,571/- (अक्षरे रूपये तीन लाख, अस्सी हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज

व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 15.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 15.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री मदन लाल पुत्र श्री भूरालाल पता- सर्वे नम्बर-12, ब्रिजराज कॉलोनी, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान-324001, जिसका कुल क्षेत्रफल 514.38 वर्गफीट है। जिसका पट्टा विलेख कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कर्मांक/ नियमन-आवंटन/2012/19 दिनांक 16.01.2012 को जारी किया गया है। जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटा में दिनांक 15 मार्च 2012 को किया गया है। जिसकी चर्तुः सीमाएं- पूर्व में- शांति का मकान, पश्चिम में-भैरूलाल का मदान, उत्तर में-रोड़, दक्षिण में- सुब्रमणी का मकान है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को सुनाया गया।



(ओम कसेरा)

जिला मजिस्ट्रेट

कोटा